दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 के०वी० सब–स्टेशन, आगरा–मथुरा बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा (उ०प्र०)
फोन– 0562 2605699, फैक्स– 0562 2605465

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

पत्रांकः– 12379/प्र०नि०/द०वि०वि०नि०लि०/विधि प्रकोष्ठ **दिनांकः– 27/नवम्बर/2019**

विषय :– Non-compliance of Commission's order dated 17.05.2019 in the matter of Suo-Moto proceedings in implementation of 13th Amendment of Electricity Supply Code, 2005. **के संबंध में।**

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
प्रथम/द्वितीय आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

विषयगत प्रकरण में मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग लखनऊ द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सूचना की अपेक्षा की गयी है–

a. Number of multi storied buildings in the licensee area.
b. Number of multi storied buildings having single point connection in licensee area.
c. Number of multi storied buildings having single point connection, who have opted for retaining single point connection.
d. Number of multi storied buildings having single point connection, who have opted for multi-point connection.
e. Number of multi storied buildings which have been converted from single point to multi point connection with date of conversion and number of connection in various categories.
f. Copy of the advertisement published/to be published informing the residents of the multi storied buildings having single point connection that they have an option to convert their single point connection into multi point connection. In case 51% residents living opt for individual connection.
g. Copy of the advertisement published informing the name of the buildings who have not opted for multi-point connection.
h. The roadmap to convert remaining multi storied buildings having single point connection to multi point connection who have given their option for conversion.

प्रकरण में विभाग की ओर से मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग लखनऊ के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह राखरा द्वारा अपने अभिमत में निम्न लिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गयी है ताकि प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना संभव हो सकें।

(a) Disclose the details and addresses of those Societies who have opted out from taking multipoint connections in the multistory buildings. So that their details can be verified by the UPERC on its own.

(b). Take out a publication in the newspapers containing the details of these societies, once again informing them of the 13th Amendment to the Supply Code 2005 and urging them to take advantage of the amended provisions (indicating that the cost implications are not huge <confined to cost of meter and wiring, to be approved by the UPERC< and is marginal compared to the advantages).Further, the UPERC had required the DISCOMs, to come out with 2 types of publications.

a) Informing those RWA/Societies who have not notified their vote (either way), that they have a right to exercise their option and that if the establishment/multistory building in question chooses for conversion to multipoint connection, they would stand benefited by saving on their monthly bills. Lastly, the additional cost which is likely to be incurred in the process of transformation (from single point to multipoint) is likely to confined to the cost of the meter and the wiring, (to be approved by the UPERC) which is easily recoverable in around a years' time and thereafter the benefits would flow from year to year.

ऊर्जा भवन, 220 के०वी० उपसंस्थान, बाईपास रोड, आगरा–282 007, फोन–(0562) 2605699 फैक्स–(0562) 2605465
टिप्पणी : पत्रोत्तर देते समय इस कार्यालय का पत्रांक अवश्य लिखें । parveenyadavalo@yahoo.com /dloagra2018@gmail.com

Scanned by CamScanner

b) The consumers may also be informed in the Publication that the details of the benefits which are to accrue and the logic /scientific basis for bringing about the said conversion, can be found on the official website of the DISCOM (being.............) in the nature of FAQ (Frequently Asked Questions).In addition to the above, keeping in view the spirit of the order of the UPERC and the zeal with which the Hon'ble Commission wants the DISCOMs to enforce/effectuate the amendments to the Supply Code 05, it is advisable that:-

(i) The DISCOM through its senior and responsible officers, hold camps for the dissemination of information with regard to the 13th Amendment (conversion from single point supply in multistory buildings to multipoint supply) and the advantages involved in the implementation of the same. These camps should be held at a time and day when the maximum occupants of the society are available. Further pamphlets may also be distributed and information in this regard may be affixed on the notice boards of the society.

(ii) The details of the Amendments in the Supply Code 05 and the FAQs may be uploaded on the official website of the department.The aforesaid case is next scheduled to be listed in December 2019 and before that the DISCOM is expected to provide a Statuts Report on the progress made by it towards the implementation of the 13th Amendment to the Supply Code 05 (conversion from single point supply in multistory buildings to multipoint supply).......”

उक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही के साथ साथ राष्ट्रीय समाचार पत्र में निम्न विषय सामग्री के साथ सूचना प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जानी है–

“..........द0वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत समस्त बहुमंजिला आवसीय इमारतो में निवास करने वाले उपभोक्ताओं को मा0 उ0प्र0 नियामक आयोग लखनऊ के विद्युत प्रदाय सहिता में 13 वे संशोधन के अनुसार सीधे विद्युत संयोजन प्रदान किया जाना है। पूर्व में बिल्डर द्वारा स्वयं एक कनैक्शन लेकर निवासीयों को अपने स्तर से संयोजन दिये जाते रहे है। एकल बिन्दु पर ऊजीकृत कालोनीयों/बहुमंजिलो इमारतों के निवासीयो/आवंटियों को भी द0वि0वि0नि0लि0 द्वारा अलग–अलग उनके परिसर पर संयोजन प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु पूरी कॉलोनी/बहुमंजिलो/इमारतो के 51 प्रतिशत निवासीयों/आवंटियों द्वारा सहमति दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु उपभोक्ता निवासी/बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 डिस्काम को वेबसाइड पर उपलब्ध प्रारूप पर अपनी सहमति अपने निकटतम खण्ड कार्यालय में प्रदान कर सकते है। उक्त संयोजन हेतु उपभोक्ता को मात्र संयोजन शुल्क एवं मीटर का मूल्य जमा कराना होगा। द0वि0वि0नि0लि0 के बहुमंजिला आवसीय परिसरो द्वारा जिन उपभोक्ताओं ने एकल बिन्दु संयोजन पर बने रहने का बिकल्प दिया है उन आवासीय परिसरों से संम्बधित आर0डब्लू0ए0/निवासीयों को विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाये कि यदि वह विकल्प परिवर्तित कराना चाहते है तो वह द0वि0वि0नि0लि0 आगरा की बेवसाइड पर उपलब्ध विकल्प पत्र के माध्यम से अपने सुसाईटी के न्यूनतम 51 प्रतिशत निवासीयो के सहमति पत्र संम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय या ई–मेल पर 15 दिन के भीतर अवश्य प्रस्तुत करें ”

प्रारूप

क्रम सं0	खण्ड का नाम	कॉलोनी/इमारत का नाम	पता

उक्त के आलोक में आवश्यक कार्यवाही कर अपेक्षित सूचना के साथ डिस्कॉम आगरा मुख्यालय पर आहूत बैठक दिनांक 29.11.2019 प्रातः 11 बजे में उपस्थित होने का कष्ट करें।

28/11/2019
(एस0के0 गुप्ता)
निदेशक (वाणिज्य)

Scanned by CamScanner

उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के 13वें संशोधन के अन्तर्गत एकल बिन्दु के संयोजनों को बहु बिन्दु पर किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्मानित उपभोक्तागण

....

लखनऊ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपकी सोसाइटी/बिल्डर को उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के 13वें संशोधन के अन्तर्गत एकल बिन्दु के संयोजनों को बहु बिन्दु के संयोजन में परिवर्तन करने हेतु नोटिस भेजी गई थी, किन्तु आपकी सोसाइटी/बिल्डर द्वारा संयोजन एकल बिन्दु से बहु बिन्दु पर करने हेतु सहमति नहीं प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञानार्थ निम्नवत् प्रेषित है :-

1. एकल बिन्दु से बहु बिन्दु पर संयोजन परिवर्तन हेतु आधारभूत ढॉचे में आवश्यक परिवर्तन पर होने वाला व्यय बिल्डर/सोसाइटी द्वारा वहन किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट के स्वतंत्र मालिक द्वारा अपने फ्लैट हेतु स्वतंत्र विद्युत संयोजन सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय से प्राप्त कराया जाएगा।
2. स्वतंत्र विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु वर्तमान में लागू दरें निम्नवत् सारणी के अनुसार है :-

नये संयोजन हेतु जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण										
एल.एम.वी.-1 विधा (शहरी घरेलू, पंखा एवं बत्ती प्रयोग हेतु)										
धनराशि का विवरण	01 कि.वा.	02 कि.वा.	03 कि.वा.	04 कि.वा.	05 कि.वा.	06 कि.वा.	07 कि.वा.	08 कि.वा.	09 कि.वा.	10 कि.वा.
प्रोसेसिंग फीस (पी.एफ.)	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
सिक्यूरिटी जमा धनराशि (एस.डी.)	300	600	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
फिक्स लाइन चार्ज (एल.सी.)	398	398	398	398	2036	2036	2036	2036	2036	2036
मीटर की धनराशि (एम.सी.)	872	872	872	872	2921	2921	2921	2921	2921	2921
कुल धनराशि	1620	1970	2570	2970	7057	7457	7857	8257	8657	9057
जी.एस.टी. (पी.एफ + एल.सी + एम.सी.) का 18 प्रतिशत	238	247	247	247	911	910	910	910	910	910
सम्पूर्ण धनराशि	1858	2217	2817	3217	7968	8367	8767	9167	9567	9967

Scanned by CamScanner

3 उपभोक्ताओं को जागरूक करने के दृष्टिगत अवगत कराना है कि सामान्यतः एकल बिन्दु के संयोजनों में स्वीकृत भार 75 किवा अथवा अधिक होने पर बिलिंग एचवी–13 विधा में की जाती है। बहु बिन्दु पर संयोजन लेने की स्थिति में यह बिलिंग एलएमवी–1 विधा में की जाएगी। वर्तमान में लागू दर सूची 2019–20 के अनुसार निम्नवत् सारणी के अनुसार विद्युत मूल्य देय है–

खपत यूनिट में	एलएमवी–1 विधा में टैरिफ के अनुसार बिल		एचवी–13 विधा में टैरिफ के अनुसार	
	विद्युत मूल्य	फिक्स चार्ज+विद्युतकर	विद्युत मूल्य	फिक्स चार्ज+विद्युतकर
150	825.00	फिक्स चार्ज : रू0 110/किवा/प्रतिमाह विद्युत कर : विद्युत मूल्य एवं फिक्स चार्ज पर 05 प्रतिशत	1155.00	फिक्स चार्ज : रू0 380/किवा/प्रतिमाह विद्युत कर : विद्युत मूल्य एवं फिक्स चार्ज पर 7.5 प्रतिशत
300	1725.00		2310.00	
500	3025.00		3850.00	
1000	6525.00		7700.00	
3000	20525.00		23200.00	

उपर्युक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु आपकी सोसाइटी में दिनांक.................. को कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कैम्प में उपस्थित होकर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त संतुष्ट होने की अवस्था में आपकी सोसाइटी द्वारा वर्तमान एकल बिन्दु के संयोजन को बहु बिन्दु पर करने हेतु सहमति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा।

(अधिशासी अभियंता)
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड

Scanned by CamScanner